

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

फैलानुमां - 46/2025

बनवान :-

1. कृपालसिंह पुत्र भादरसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

:-वादीगण

बनाम

- 3 भादर पुत्र जगराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
- 4 राजबाला पुत्री भादरसिंह पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा हाल निवासी रामगढ तहसील नोहर।
- 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मोहरसिंह व वकील प्रतिवादीगण श्री रतनसिंह धारीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मुन्सरी बरानी के खाता सं० 149/204 के खसरा सं० 119, 3, 411/80 कुल 8.7510 है० बरानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 भादर के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वर्णित में से प्रतिवादी सं० 1 भादर अकेले के बजाए वादी सं० 1 कृपालसिंह व प्रतिवादी सं० 2 राजबाला को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ने उक्त वर्णित भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा, जिला हनुमानगढ़
भादरा जिला हनुमानगढ़

